24/3/17	वकील फरीकेन उप0। पूर्वानुसार वास्ते बहस दि0 5/4/17 को पेश हो। Ri'y
5/4/17	वकील फरीकेन उप0/...... ...अवकाश / दौरे पर पधारे हैं। पूर्वानुसार दि0 19/4/17 ...को पेश हों।
19/4/17	वकील फरीकेन उप0। पूर्वानुसार वास्ते बहस को अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दि0 3/5/17 को पेश हो। Ri'y
24/5/17	पत्रावली आज ... लोक अदालत अभियान 2017 में पेश हुई। ... नहीं है। पत्रावली पूर्वानुसार दि0 24/8/17 को पेश हो। Ri'y
24/8/17	वकील फरीकेन उप0। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दि0 6/9/17 को पेश हो। Ri'y
6/9/17	तारीख पेशी अमराल नोटिस से बदली जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील फरीकेन उप0। तारीख पेशी अमल नोटिस के बदलने पर निर्णय नहीं सुनाया जा सका। इसलिए बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दि0 13/9/17 को पेश हो। Ri'y
13/9/17	वकील फरीकेन उप0। दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से सिरोल जारी शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्कल से कनहो। Ri'y

1. बाबूलाल पुत्र रामलाल
2. प्रेम पत्नि बाबूलाल

समस्त जातिगण मीना निवासी रूपपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली(राज) –वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप 2. रामचरण 3. शिवचरण 4. पप्पू पुत्रान किशनलाल जाति मीना 5. दिनेश 6. राजेश पुत्रान रामफूल जाति बैरवा निवासीयान रूपपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली 7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री केशव कुमार गोतम एड0 वकील वादीगण।
श्री धीरेन्द्रपालसिह एड0 वकील प्रतिवादीगण।

संक्षेप में वाद तथ्य वादीगण इस प्रकार से है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 63/22 रकबा 01 बीघा वाके ग्राम रूपपुरा तहसील सपोटरा जो कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। प्रतिवादीगण का इस आराजी से दूर दूर तक कोई सम्बन्ध नही है। प्रतिवादीगण सहजोर, ताकत एवं लट्ठ वाले व्यक्ति है जो कि आये दिन वादीगण के कब्जे काश्त मे बाधा डालते रहते है। वादीगण द्वारा पूर्व मे कराये गये सीमा चिन्हो को भी प्रतिवादीगण द्वारा मिटा दिये गये है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 7.12.2010 को उक्त आराजी पर पाटोर छप्पर का निर्माण कर लिया जिसकी शिकायत एस0एच0ओ0 सपोटरा के यहां वादी द्वारा पेश की गई हैं दिनांक 4.10.2011 को वादीगण अपनी आराजी पर फसल बुआई का कार्य कर रहे थे तो अचानक प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 हाथों मे लाठी कुल्हाड़ी लेकर आ गये और आते ही मां बहन की फोस गालिया देने लग गये व कहा कि तुम उक्त खेत पर फसल बुआई का कार्य बंद कर दो क्योंकि हम ताकत के बल पर अवैध रूप से कब्जा करके तुम्हे बेदखल करके रहेगें। तथा आमादा फिसाद हो उतारू हो गये। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी सं0 2, 3, 6 बावजूद तामील उपस्थित न्यायालय नही आये इसलिए इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं0 7 ने वाद मे राज्य हित निहित नही होने के कारण कोई जवाब दावा पेश नही किया। प्रतिवादी सं0 1, 4 तथा 5 ने जरिये वकील अपना जवाबदावा पेश कर कथन किया कि वादी द्वारा मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यों पर वाद पत्र पेश किया जो खारिज होने योग्य है। विवादित आराजी खसरा नं0 63 जिसका रकबा लगभग 23 बीघा है जो कि वाके ग्राम रूपपुरा मे ग्राम बस्ती के पास स्थित है। विवादित आराजी मे प्रतिवादीगण 1 ता 6 द्वारा भी सरकारी जमीन मे जिसकी किस्म सिवायचक है, कब्जा कर रखा है एवं अपने आवास के पास स्थित जमीन मे पाटोर पोश घर बनाकर रहते आ रहे है। वादी के द्वारा वाद पत्र मे एक बीघा जमीन को आवंटित होना बताया है एवं जिसकी खातेदारी प्राप्त होना बताया गया है। उसका सीमांकन वादी द्वारा स्पष्ट नही किया गया वल्कि वादी द्वारा उक्त खसरा नं0 23 मे 63/22 नम्बर रकबा 0'1 बीघा जमीन जो आवंटित करायी गयी है जिसको कानूनन आवंटित कराने का वादी अधिकारी नही है। राजस्व कर्मचारियों से साज करके अकाल राहत मे तैयार की गई तलाई के अन्दर विधि विरूद्व तरीके से एक बीघा जमीन को आवंटित कर खातेदारी प्राप्त कर ली जिसका कानूनी वह अधिकारी नही है। हम प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त एवं रैवास मे वादी के आवंटन से पूर्व चली आ रही आराजी पर वादी ने मनगढन्त तथ्यों पर मिथ्या दावा पेश किया किया है जो खारिज होने योग्य है।

उप जिला कलक्टर सपोटरा, जिला-करौली

वाद तथ्य, जवाबदावा एवं पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर चार तनकीयात कायम की गई। वकील वादी ने साक्ष्य मे वादी बाबूलाल का शपथ पत्र पेश किया जिससे जिरह रिकार्ड की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे वकील वादी द्वारा नकल जमाबंदी ग्रम रूपपुरा सम्बत् 2066-69 तथा सीमाज्ञान की फर्द मौका की फोटोप्रति पेश किये है। प्रतिवादीगण ने कोई मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये है।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा, जवाबदावा, उपलब्ध दस्तावेजों व बहस के अनसुार तनकीवाईज विवेचन निम्न प्रकार हैः-

1. आया आराजी खसरा नं0 63/22 स्थित ग्राम रूपपुरा (एकट) वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है? इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। मुताबिक जमाबंदी सं0 2066-69 वादीगण विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पर तहसीलदार ने वादीगण को गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार दिये है जो बिना कब्जे काश्त के संभव नही है। इसलिए यह तनकी वादीगण के पक्ष मे विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।
2. आया वादीगण प्रतिवादीगण को उक्त खसरा नं0 मे कब्जे या काश्त मे बाधा न डालने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है? इस तनकी को भी साबित करने का भार वादीगण पर है। जैसा कि तनकी नं0 1 से स्पष्ट है वादीगण विवादित आराजी का सैपरेट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, वादीगण द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि सीमाज्ञान तरमीम के अनुसार जरीब चलाकर किया गया है। अतः प्रतिवादीगण वकील का यह तर्क सारहीन है कि विवादित आराजी की तरमीम नही है। विवादित आराजी की तरमीम नही होने का कोई साक्ष्य (दस्तावेज नक्शा ट्रेस) प्रतिवादीगण ने पेश नही किया है। अतः वादीगण जमाबंदी व सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादीगण को ज़रिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कराने के अधिकारी है। इसलिए यह तनकी भी वादीगण के पक्ष मे विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।
3. आया भूमि वादीगण को सरकारी तलाई मे आवंटित हुई है तथा सीमाज्ञान भी नही है, इसलिए दावा खारिज योग्य है? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने ना तो कोई मौखिक साक्ष्य कराई है और ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है। सरकारी तलाई मे आवंटित होने का कोई सबूत पेश नही किया है। इसलिए यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।
4. अनुतोषः- उपर्युक्त तनकीवाईज विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादीगण विवादित आराजी के सेपरेट खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है जिसमे प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा दर्ज नही है। इसलिए वादीगण का वाद पत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम रूपपुरा तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 63/22 रकबा 01 बीघा में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे ना ही किसी दीगर से करावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश आज दिनांक 13.09.2017 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखित दफ्तर हो।

(राजपाल यादव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली